

# न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा।


भूमि सत्यापन अभिलेख संख्या.....36.3/2022

आवेदक मो० वसीम पिता-स्व० निजाम उद्दीन, साकिन-असना, पोस्ट-झुमरी तिलैया, थाना-तिलैया, जिला-कोडरमा द्वारा निम्न भूमि का सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है :-

मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	किस्म
असना	245	50	1294	181 वर्गफीट	रैयती

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराये एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ ही आम इश्तेहार निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक 09/12/2022 को प्रस्तुत करें।


  
अंचल अधिकारी,  
कोडरमा।

अभिलेख उपस्थापित।

आम इश्तेहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है।

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-असना, थाना नं०-245, खाता सं०-50, प्लॉट सं०-1294, रकवा-08 डी० भूमि मो० निजामउद्दीन पिता स्व० अब्दुल करीम बक्श के नाम से पंजी-II के पृष्ठ संख्या-187 भाग संख्या-18 पर ऑनलाईन जमाबन्दी दर्ज है। प्राधिकार क्षेत्र में दाखिल खारिज वाद संख्या-687/2005-06 दर्ज है। उक्त भूमि आवेदक को केवाला संख्या-4295 दिनांक 11.08.2005 द्वारा प्राप्त है। भूमि रैयती खाते की है। लगान रसीद वर्ष 2006-07 तक निर्गत है। शपथ पत्र संख्या-17 दिनांक 01/12/2022 (नोटरी पब्लिक, कोडरमा) की मूल प्रति संलग्न किया गया है। मौजा-असना, थाना नं०-245, खाता सं०-50, प्लॉट सं०-1294, रकवा-181 वर्गफीट भूमि निबंधन हेतु स्वीकृति दी जा सकती है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशांसा के आधार पर प्रतिवेदित किया जाता है कि मौजा-असना, थाना नं०-245, खाता सं०-50, प्लॉट सं०-1294, रकवा-181 वर्गफीट भूमि निबंधन योग्य है। यद्यपि निबंधन के उपरान्त भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts-1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामान्तरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय में सुरक्षित रहेगा एवं नामान्तरण के पूर्व अगर कोई वैध आपत्ति होती है तो विधिसम्मत निर्णय लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।

  
अंचल अधिकारी,  
कोडरमा।